

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(स्थापना-I अनुभाग)

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 177.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 में परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में पुस्तकालय सहायक और सूचना अधिकारी के समूह 'ख' राजपत्रित पद की भर्ती की पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पुस्तकालय सहायक और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा उससे उपाबद्ध वेतनमान वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय सहायक और सूचना अधिकारी	01* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक टिप्पण 1— केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख

(6)

जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

आवश्यक :

आयु : नहीं;
शैक्षिक अर्हता : हां

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान या सूचना विज्ञान या प्रलेखन विज्ञान में स्नातक की डिग्री।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान या स्वायत्त निकाय या किसी संस्थागत पुस्तकालय में केन्द्रीय या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से तहत पुस्तकालय में पुस्तकालय कार्यकलापों के कंप्यूटरीकरण में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव या दो वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान या सूचना विज्ञान या प्रलेखन विज्ञान में मास्टर डिग्री।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारण लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(10)

संयुक्त पद्धति प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) और प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति आईएसटीसी) और प्रोन्नति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संस्थानों के अंतर्गत अधिकारी :

(क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण कर रहे हैं; या

(ii) वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में मूल संवर्ग या विभाग में ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;

और

(ख) जो स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1 : वेतन बैंड-2, 9300-34800 ग्रेड वेतन + 4200 रु. में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ विभागीय पुस्तकालय सूचना सहायक पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा, यदि उसका वह इस पद के लिए नियुक्ति हेतु चयनित हो जाता है या जाती है तो यह पद प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी बाह्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा, (वह तारीख जिसे छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी) सिवाय वहाँ जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को एक साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहाँ यह फायदा केवल उसी पद (उन पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(11)

टिप्पण 5 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु किसी अधिकारी द्वारा तारीख 1-1-2006 (वह तारीख जब से छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना में विस्तार किया गया है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेंगी :-

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. संयुक्त सचिव (स्थापना), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय--अध्यक्ष
2. निदेशक/उप सचिव (स्थापना), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय--सदस्य
3. अवर सचिव (स्थापना), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय--सदस्य

[फा. सं. ए-12018/1/2011-ई-1]

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Establishment I Section)

New Delhi, the 18th July, 2013

G.S.R. 177.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' Gazetted post of Assistant Library and Information Officer in the Ministry of Road Transport and Highways, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways (Assistant Library and Information Officer) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non-Selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Library and Information Officer	01* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 : Rs. 9300— 34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	N.A.	Not exceeding 30 years. Note 1 : Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
Educational and other qualification required for direct recruits			Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Essential : (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science or Information Science or Documentation science of a recognized University or Institute.			Age : No Educational Qualification's : Yes		Two years for direct recruits

(7)

(ii) Two years professional experience or two years experience in computerization of library activities in a Library under the Central or State Government or PSUs or Recognized Research or Educational Institutions or Autonomous body or in any Institutional Library.

Desirable :

(i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science or Information Science or Documentation Science of a recognized University or Institute.

(ii) Post Graduate diploma in Computer Application from a recognized University or Institute.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In the case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorptions, is to be made

(10)

(11)

By composite method deputation (ISTC) plus promotion failing which by direct recruitment.

Composite method deputation (ISTC) plus Promotion :
Officers under the Central or State Govts. or UTs/Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Govt. or statutory or autonomous organisations :

(A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the PB-2 of Rs. 9300—34800 with Grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(B) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Col. (7).

Note 1 : The Departmental Library Information Assistant in the Pay Band-2 of Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4200 with five years regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 2 : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(11)

Note 3 : Period of Deputation (ISTC) including period of Deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The Maximum age limit for appointment by Deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission) except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade pay or Pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade pay or Pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Note 5 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended,) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :

Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

1. Joint Secretary (Establishment), Ministry of Road Transport and Highways —Chairman
2. Director/Deputy Secretary (Establishment), Ministry of Road Transport and Highways ---Member.
3. Under Secretary (Establishment), Ministry of Road Transport and Highways ---Member

[F. No. A-12018/1/2011-F-1]

H. R. MEENA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 178.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय (तकनीकी अधिकारी)(1) भर्ती नियम, 1987 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन वनस्पति संरक्षण, संगरोध और

2995 GI/13-10